

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2308 /2020 दिनांक : 04.12.2020

सुश्री निधि शर्मा-II (RJ1075), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-07, जयपुर महानगर-II को दिनांक 10.11.2020 से 11.11.2020 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री शर्मा-II की अनुपस्थिति में विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-08, जयपुर महानगर-II / विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-09, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-07, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से  
*[Signature]* 09/12/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/63/2016/ 5605

दिनांक : 9 .12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1615 दिनांक 12.11.2020 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री निधि शर्मा-II (RJ1075), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-07, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-07, जयपुर महानगर-II
5. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-08, जयपुर महानगर-II
6. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-09, जयपुर महानगर-II

*[Signature]* 09.12.2020  
सहायक रजिस्ट्रार